

संबंधित पार्टी लेनदेन नीति और प्रक्रियाएं

RELATED PARTY TRANSACTIONS POLICY & PROCEDURES

1. प्रस्तावना / Preamble

1.1. एमएसटीसी लिमिटेड ("एमएसटीसी" या "कंपनी") अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में उच्चतम नैतिक और कानूनी आचरण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह मानता है कि संबंधित पार्टी लेनदेन एमएसटीसी के हित के साथ निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन आदि के हितों के वास्तविक या स्पष्ट टकराव का जोखिम पेश कर सकते हैं।

MSTC Limited ("MSTC" or "Company") is committed to uphold the highest ethical and legal conduct in fulfilling its responsibilities and recognizes that related party transactions can present a risk of actual or apparent conflict of interest of the Directors, senior management etc. with the interest of MSTC.

1.2. एमएसटीसी के निदेशक मंडल ("निदेशक मंडल" या "बोर्ड") कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में, नीचे परिभाषित संबंधित पार्टी लेनदेन ("आरपीटी") के संबंध में निम्नलिखित नीति और प्रक्रियाओं ("नीति") को अपनाता है। और इसके बाद के किसी भी संशोधन ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), संशोधित, और ऐसे अन्य नियामक प्रावधान, जो कंपनी और उसके किसी भी संबंधित पक्ष (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) के बीच लेनदेन की समय पर पहचान, अनुमोदन, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए लागू हो सकते हैं।

The board of directors of MSTC (the "Board of Directors" or "Board") adopts the following policy and procedures (the "Policy") with regard to Related Party Transactions ("RPT") as defined below, in compliance with the requirements of Section 188 of the Companies Act 2013 and the Rules made thereunder and any subsequent amendments thereto (the "Act") and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended, and such other regulatory provisions, as may be applicable in order to ensure timely identification, approval, disclosure and reporting of transactions between the Company and any of its Related Parties (as defined below).

1.3. संबंधित पक्ष लेनदेन की महत्ता पर नीति तैयार करने तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23 के अंतर्गत संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, एमएसटीसी ने संबंधित पक्षों की पहचान तथा सभी संबंधित पक्ष लेनदेन के उचित प्रचालन और दस्तावेजीकरण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

Considering the requirements for formulation of a policy on materiality of related party transactions and on dealing with related party transactions under Regulation 23 of the Listing Regulations, MSTC has formulated the following guidelines for identification of related parties and the proper conduct and documentation of all related party transactions.

- 1.4. इस नीति का उद्देश्य आरपीटी की समय पर पहचान, इसके मुख्य नियम व शर्तें, अनुमोदन प्रक्रिया का विवरण, इसके प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की रूपरेखा सुनिश्चित करना तथा आरपीटी के प्रचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि हितों का टकराव न हो। कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर आरपीटी के संबंध में इस नीति और कंपनी और उसके संबद्ध पक्षों के बीच लेनदेन को विनियमित करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया को पहली बार 11 जनवरी, 2019 को अपनाया था।

This Policy is intended to ensure timely identification of an RPT, its salient terms and conditions, detail the approval process, outline the disclosure and reporting requirements thereof and to ensure transparency in the conduct of RPT's, so that there is no conflict of interest. The Board of Directors of the Company ('the Board') had first adopted this Policy on 11th January, 2019 with respect to RPT's and a standard operating procedure to regulate transactions between the Company and its Related Parties on the recommendation of the Audit Committee.

2. उद्देश्य / Objective

- 2.1. इस नीति का उद्देश्य एमएसटीसी और उसके हितधारकों के सर्वोच्चम हित में एमएसटीसी और उसके किसी भी संबंधित पक्ष के बीच लेनदेन की व्यवस्थित पहचान, अनुमोदन और/या रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। इस नीति के प्रावधान पहचान और अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ-साथ लागू कानूनों के संदर्भ में संबंधित पक्ष लेनदेन के संचालन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। यह नीति एमएसटीसी की अन्य नीतियों का पूरक होगी जो संबंधित व्यक्तियों के साथ लेनदेन की पहचान, अनुमोदन और/या रिपोर्टिंग के लिए लागू हो सकती हैं।

This Policy is intended to ensure systematic identification, approval and/ or reporting of transactions as applicable, between MSTC and any of its Related Party in the best interest of MSTC and its stakeholders. Provisions of this Policy are designed to govern the transparency in identification and approval process as well as disclosure requirements to ensure fairness in the conduct of Related Party Transactions, in terms of the applicable laws. This Policy shall supplement other policies of MSTC that may be in force for identification, approval and/or reporting of transactions with related persons.

- 2.2. एमएसटीसी की लेखा परीक्षा समिति ("लेखा परीक्षा समिति") उपरोक्त प्रावधानों के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में इस नीति के आधार पर संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा, अनुमोदन और पुष्टि करेगी। निदेशक मंडल समय-समय पर इस नीति की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संबंधित पक्ष लेनदेन

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

पर नीति के लिए कोई भी अपवाद कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप होगा, जिसमें इसके तहत प्रख्यापित नियम और सूचीबद्धता विनियम शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा तय तरीके से अनुमोदित किया जाएगा।

The audit committee of MSTC ("Audit Committee") shall review, approve and ratify Related Party Transactions based on this Policy in terms of the requirements under the above provisions. The Board of Directors reserves the power to review and amend this Policy from time to time. Any exceptions to the Policy on Related Party Transactions shall be consistent with the Companies Act 2013, including the rules promulgated there under and the Listing Regulations and shall be approved in the manner as may be decided by the Board of Directors.

3. इस नीति द्वारा किए गए लेनदेन / Transactions Covered by this Policy

3.1. इस नीति के अंतर्गत आने वाले लेनदेन में संबंधित पक्ष के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में परिभाषित लेनदेन के संबंध में कोई अनुबंध या व्यवस्था शामिल है।

A transaction covered by this Policy includes any contract or arrangement with a related party with respect to transactions defined hereunder as 'Related Party Transaction'.

3.2. आगे यह भी प्रावधान है कि एमएसटीसी द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय के क्रम में तथा एक निश्चित आधार पर संबंधित पक्ष के साथ किए गए किसी भी लेन-देन की सूचना समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति को दी जाएगी।

Provided further that any transaction entered into by MSTC with Related Party in its ordinary course of business and on an arm's length basis, shall be periodically reported to the Audit Committee.

4. परिभाषाएं / Definitions

4.1 "अधिनियम" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 से है, जहां तक अधिसूचित है, तथा कंपनी अधिनियम, 1956 से है, जहां तक लागू है, तथा समय-समय पर संशोधित उसके अंतर्गत बनाए गए नियम भी हैं।

"**Act**" means the Companies Act, 2013, to the extent notified and the Companies Act, 1956, to the extent in force and rules made there under as amended from time to time.

4.2 "सहयोगी कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(बी) में निर्धारित किया गया है।

"Associate Company" shall have the meaning prescribed in section 2(6) of the Companies Act, 2013 and regulation 2(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

4.3 "लेखा परीक्षा समिति" से तात्पर्य अधिनियम और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के तहत गठित एमएसटीसी के निदेशक मंडल की समिति से है।

"Audit Committee" means a committee of the board of directors of MSTC constituted under provisions of the Act and Listing Regulations.

4.4 "बोर्ड" या "निदेशक मंडल" का तात्पर्य एमएसटीसी के निदेशक मंडल से है।

"Board" or **"Board of Directors"** means the board of directors of MSTC.

4.5 "नियंत्रण" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(27) में निर्धारित किया गया है।

"Control" shall have the meaning prescribed in section 2(27) of the Companies Act, 2013;

4.6 "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" या "केएमपी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में निर्धारित किया गया है।

"Key Managerial Personnel" or **"KMP"** shall have the meaning prescribed in section 2(51) of the Companies Act, 2013;

4.7 "सूचीबद्धता विनियमन" का तात्पर्य समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 से है।

"Listing Regulations" means Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

4.8 "लाभ का कार्यालय या स्थान" से तात्पर्य किसी भी कार्यालय या स्थान से है / **"Office or place of profit"** means any office or place –

(i) जहां ऐसा पद या स्थान किसी निदेशक द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला निदेशक एमएसटीसी से निदेशक के रूप में अपने हकदार पारिश्रमिक के अतिरिक्त वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास या अन्यथा कुछ भी प्राप्त करता है।

where such office or place is held by a director, if the director holding it, receives from MSTC anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as director, by way of salary, fee, commission, perquisites, any rent-free accommodation, or otherwise;

(ii) जहां ऐसा कार्यालय या स्थान निदेशक के अलावा किसी व्यक्ति या किसी फर्म, निजी कंपनी या अन्य निगमित निकाय द्वारा धारण किया जाता है, यदि उसे धारण करने वाला व्यक्ति, फर्म, निजी कंपनी या निगमित निकाय एमएसटीसी से पारिश्रमिक, वेतन, शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, कोई किराया-मुक्त आवास या अन्यथा के रूप में कुछ भी प्राप्त करता है।

where such office or place is held by an individual other than a director or by any firm, private company or other body corporate, if the individual, firm, private company or

body corporate holding it, receives from MSTC anything by way of remuneration, salary, fee, commission, perquisites, any rent-free accommodation, or otherwise.

4.9 "संबद्ध पक्ष" से तात्पर्य निम्नलिखित के तहत परिभाषित संबंधित पक्ष से है / "Related Party" means a Related Party as defined under:

- क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76); या / Section 2(76) of the Companies Act, 2013;or
- ख. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का विनियमन 2(1)(जेडबी);या / Regulation 2(1)(zb) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;or
- ग. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 24 / Indian Accounting Standard (IND AS) 24 as notified by the Central Government.

4.10 "रिश्तेदार" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 2(1)(जेडडी) में निर्धारित किया गया है;

"Relative" shall have the meaning prescribed in section 2(77) of the Companies Act, 2013 and regulation 2(1)(zd) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

4.11 "संबंधित पार्टी लेनदेन" का अर्थ है लेनदेन / अनुबंध / व्यवस्था जो निम्नलिखित के दायरे में आती है;

"Related Party Transaction" means Transactions / Contracts/Arrangement which falls within the purview of;

- क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188; या / Section 188 of the Companies Act, 2013;or
 - ख. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का विनियमन 2(1)(जेडसी);या / Regulation 2(1)(zc) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; or
 - ग. केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) 24 / Indian Accounting Standard (IND AS) 24 as notified by the Central Government.
- 4.12 "महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन" से तात्पर्य संबंधित पक्ष लेनदेन से है, जिसे व्यक्तिगत रूप से या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ मिलाकर किया जाता है, जो 1000 करोड़ रुपये से अधिक होता है या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का दस प्रतिशत, जो भी कम हो।

"Material Related Party transactions" means related party transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds Rs. 1000 crore or ten per cent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

बशर्ते, ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबंधित पक्ष को किए गए भुगतान से संबंधित लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले लेनदेन या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ संयुक्त रूप से किए जाने वाले लेनदेन, सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक हों।

Provided that, a transaction involving payments made to a related party with respect to brand usage or royalty shall be considered material if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceed five percent of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity.

उपरोक्त के अतिरिक्त, भौतिक संबंधित पक्ष लेनदेन का अर्थ एमएसटीसी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत कवर किए गए निम्नलिखित लेनदेन भी होगा।

Further to above, Material Related Party transactions shall also mean following transactions as covered under Section 188 of the Act, by MSTC with Related Parties:

क्र. सं. / S. No.	लेन-देन या अनुबंध या व्यवस्था / Transaction or Contracts or Arrangements for	* फिलहाल लागू सीमाएं (कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 15 के अनुसार) / Limits for the time being in force (as per Rule 15 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014)
1.	किसी भी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से / Sale, purchases or supply of any goods or materials, directly or through appointment of agent	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक / 10% or more of the turnover of the company. लेनदेन या लेन-देन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ मिलाकर दर्ज किया जाना चाहिए। / For the transaction or transactions to be entered into either individually or taken together with the previous transactions during a financial year.
2.	किसी भी प्रकार की बिक्री या अन्यथा निपटान, या संभवतः सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से किसी प्रकार की खरीद Selling or otherwise disposing of, or buying probably of any kind directly or through appointment of agent	कंपनी की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक। / 10% or more of the net worth of the company. लेनदेन या लेन-देन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ मिलाकर दर्ज किया जाना चाहिए। / For the transaction or transactions to be entered into either individually or taken together with the previous transactions during a financial year
3.	किसी भी प्रकार की संपत्ति का पट्टा / Leasing of property of any kind	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक। / 10% or more of the Turnover of the company.

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

		लेनदेन या लेन-देन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ मिलाकर दर्ज किया जाना चाहिए। / For the transaction or transactions to be entered into either individually or taken together with the previous transactions during a financial year.
4.	किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना, सीधे या एजेंट की नियुक्ति के माध्यम से / Availing or rendering of any services, directly or through appointment of agent	कंपनी के टर्नओवर का 10% या उससे अधिक। / 10% or more of Turnover of the Company. लेनदेन या लेन-देन को व्यक्तिगत रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेन-देन के साथ मिलाकर दर्ज किया जाना चाहिए। / For the transaction or transactions to be entered into either individually or taken together with the previous transactions during a financial year.
5.	कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्ति के लिए / For appointment to any office or place of profit in the Company, its Subsidiary Company or Associate Company	जहां मासिक पारिश्रमिक 2,50,000 रुपये से अधिक हो। / Where monthly remuneration exceeds Rs.2,50,000
6.	कंपनी की किसी भी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्न की सदस्यता के लिए पारिश्रमिक / Remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof, of the Company	कंपनी के नेटवर्थ के 1% से अधिक राशि के लिए। / For amount exceeding 1% of Net Worth of the Company

उपरोक्त वित्तीय सीमाएं अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर सूचीबद्धता विनियमों में किए गए किसी भी संशोधन के अधीन हैं, ऐसी स्थिति में उपरोक्त सीमाएं ऐसी संशोधित सीमाओं को संदर्भित करने वाली मानी जाएंगी।

The above financial thresholds are subject to any amendments made in the Act or Rules made thereunder and Listing Regulations from time to time, in which case the above thresholds shall deem to refer to such amended threshold(s).

उपर्युक्त टर्नओवर और निवल मूल्य की गणना पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार की जाएगी।

Turnover and net worth referred above shall be computed as per audited financial statement for the preceding financial year.

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

4.13 "महत्वपूर्ण संशोधन" का तात्पर्य संबंधित पक्ष लेनदेन में किसी भी संशोधन से है, जिसे लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल और/या शेररधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया हो, जैसा भी मामला हो, जो लेनदेन की पूरी प्रकृति को बदल देगा और कार्यकाल या मौद्रिक सीमाओं के मामले में, संशोधन मूल रूप से अनुमोदित कार्यकाल या लेनदेन मूल्य के 10% से अधिक है।

"Material modifications" means any modifications to the related party transactions which were approved by the Audit Committee/ Board of Directors and/or Shareholders, as the case may be which will change the complete nature of the transaction and in case of tenure or monetary thresholds, the modification is in excess of 10% of the originally approved tenure or transaction value.

4.14 अधिनियम या सूचीबद्धता विनियमों के तहत "व्यापार का सामान्य क्रम" परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए कंपनी यह निष्कर्ष निकालने के लिए निर्णय लेगी कि क्या किसी लेनदेन को व्यवसाय के सामान्य क्रम में माना जा सकता है। कंपनी द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में माने जाने वाले लेनदेन के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे -

"Ordinary course of business" is not defined under the Act or the Listing Regulations. Therefore, it would depend on facts and circumstances of each case. The Company would therefore exercise judgment to conclude whether a transaction can be considered to be in the ordinary course of business. Examples of transactions that the Company would consider to be in the ordinary course of business would include but not limited to –

- यह लेन-देन इसके ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के तहत अनुमोदित किया गया है।
The transaction is approved under its Memorandum and Articles of Association
- कंपनी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों में इस तरह के लेनदेन किए हैं।
The Company had entered into such transactions over the years in the past for furtherance of its business.
- लेन-देन पर्याप्त आवृत्ति पर किया जाता है।
The transaction is carried out at sufficient frequency.
- विलय, अधिग्रहण, पुनर्निर्माण आदि से संबंधित गतिविधियों के मामले में, जैविक और अजैविक विकास के लिए ऐसे लेन-देन उस उद्योग के लिए सामान्य हैं जिससे कंपनी संबंधित है।
In case of activities relating to mergers, acquisitions, reconstruction etc., such transactions for organic & inorganic growth are common to the industry to which the Company belongs.
- यह लेन-देन कंपनी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था तथा यह नई क्षमताओं को बढ़ाने और प्राप्त करने के इसके व्यावसायिक उद्देश्य के अनुरूप है।
The transaction was in furtherance of the business of the Company and is consistent with its business objective of augmenting and acquiring newer capabilities

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

- यह लेन-देन निष्पक्ष आधार पर किया जाता है।
The transaction is undertaken on arm's length basis
- वे लेनदेन जो प्रचालन से प्राप्त राजस्व, बेची गई वस्तुओं की लागत और व्यवसाय के प्रचालन के लिए किए गए सामान्य व्यय का हिस्सा बनते हैं।(व्यावसायिक औचित्य को ध्यान में रखते हुए तथा स्वतंत्र तृतीय पक्षों के साथ लेन-देन की तुलना में बिना किसी भी विवादित नियम व शर्तों के।)
The transactions which form part of the Revenue from Operations, the costs of goods sold and the normal expenses incurred for operating the business (considering the business rationale and without any conflicted terms and conditions as compared to transactions with independent third parties).
- अन्य आय या अन्य व्यय, चाहे वह विशिष्ट हो या असाधारण, के भाग के रूप में प्रकट किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी लेनदेन का मूल्यांकन आम तौर पर मामले दर मामले के आधार पर किया जाएगा कि क्या उन्हें व्यवसाय के सामान्य क्रम में माना जा सकता है।
A transaction proposed to be disclosed as part of other income or other expenses, exceptional or extraordinary will generally be assessed on a case to case basis as to whether they could be considered to be in the ordinary course of business.

4.15 "निष्पक्ष आधार पर लेन-देन" का अर्थ है दो संबंधित पक्षों के बीच ऐसा लेनदेन जो इस प्रकार प्रचलित किया जाता है मानो वे असंबंधित हों, ताकि हितों का कोई टकराव न हो।

"Transactions on arm's length basis" means a transaction between two related parties that is conducted as if they were unrelated, so that there is no conflict of interest.

इस नीति में प्रयुक्त कोई भी शब्द, जिसे इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीबद्धता विनियमों और/या समय-समय पर संशोधित किसी अन्य लागू सांविधिक विनियमों के अंतर्गत परिभाषित है।

Any word used in this Policy, but not defined herein, shall have the same meaning as defined under the Companies Act, 2013, Listing Regulations and/or any other applicable statutory regulations, as amended from time to time.

5. संबंधित पक्ष का पता लगाने के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ / Pre-requisites for ascertaining related party

5.1. निम्नलिखित विवरण आवश्यक होंगे / The following details shall be required:

- क. सभी निदेशकों और केएमपी द्वारा फॉर्म एमबीपी-1 में हित की घोषणा/प्रकटीकरण। / Declaration / Disclosure of interest by all the Directors and KMPs' in form MBP-1.
- ख. सभी निदेशकों और केएमपी द्वारा रिश्तेदारों की घोषणा। / Declaration of relatives by all Directors and KMPs'.

- ग. किसी फर्म के बारे में घोषणा जिसमें निदेशक और केएमपी या उसका रिश्तेदार भागीदार है। / Declaration about a firm in which a Director and KMP or his relative is a partner.
- घ. किसी निजी कंपनी के बारे में घोषणा जिसमें निदेशक और केएमपी या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है। / Declaration about a private company in which a Director and KMP or his relative is a member or director.
- ङ. किसी सार्वजनिक कंपनी के बारे में घोषणा जिसमें निदेशक और केएमपी निदेशक हैं और रिश्तेदारों के साथ मिलकर चुकता शेयर पूँजी का 2% से अधिक हिस्सा रखता है। / Declaration regarding a public company in which a Director and KMP is a Director and holds along with the relatives more than 2% of the paid-up share capital.
- च. कोई कंपनी जो / any Company which is-
 - (i) एमएसटीसी की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी; या / a subsidiary or an associate Company of the MSTC; or
 - (ii) एमएसटीसी की सहायक कंपनी की सहायक कंपनी / a subsidiary of a subsidiary of MSTC.

6. संभावित संबंधित पक्ष लेनदेन की पहचान / Identification of Potential Related Party Transactions

- 6.1. संबंधित कार्यात्मक/विभागीय प्रमुख संबंधित विभाग में एक नोडल अधिकारी (अधिमानतः कंपनी कानून और लेखांकन मानकों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति) को नामित करने की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अपने या अपने रिश्तेदारों से संबंधित किसी भी संभावित संबंधित पक्ष लेन-देन के बारे में संबंधित नोडल अधिकारी को लिखित सूचना देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें लेन-देन के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी शामिल है, जिसे नोडल अधिकारी उचित रूप से अनुरोध कर सकता है। नोडल अधिकारी, प्रबंधन के अन्य सदस्यों और लेखा परीक्षा समिति के साथ परामर्श करके, जैसा भी उपयुक्त हो, यह पता लगाएगा कि क्या संबंधित विभाग में कोई लेनदेन संबंधित पक्ष लेनदेन की परिभाषा के अंतर्गत आता है और उक्त लेनदेन की रिपोर्ट केंद्रीय लेखा प्रमुख को देगा। केंद्रीय लेखा प्रमुख की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उक्त लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद, प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेनदेन को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

The concerned Functional/ Departmental head shall arrange to nominate a Nodal Officer at the respective Department (preferably a person having knowledge of the Company law and Accounting Standards). Each Director / Key Managerial Personnel is responsible for providing written notice to the concerned Nodal Officer of any potential Related Party Transaction involving him or her or his or her relatives, including any additional information about the transaction that the Nodal Officer may reasonably request. The Nodal Officer, shall, in consultation with other members of management and with the Audit Committee, as appropriate, ascertain whether any transaction in the concerned department would be covered under the definition of Related Party Transactions and report the said transaction to the Head of Central Accounts. After

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

obtaining the report of the Head of Central Accounts, approval of the Audit Committee shall be obtained for the said transaction. Thereafter, the proposed Related Party Transaction shall be placed before the Board for its consideration.

- 6.2. एमएसटीसी का प्रत्येक निदेशक/केएमपी जो किसी भी तरह से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अनुबंध या व्यवस्था या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित या इच्छुक है, उसे बोर्ड की उस बैठक में अपनी चिंता या रुचि की प्रकृति का खुलासा करना होगा जिसमें अनुबंध या व्यवस्था पर चर्चा की जाती है और वह ऐसी किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा या उस पर प्रभाव नहीं डालेगा।

Every Director/ KMP of MSTC who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into shall disclose the nature of his concern or interest at the meeting of the Board in which the contract or arrangement is discussed and shall not participate in or exercise influence over any such meeting.

- 6.3. जहां कोई निदेशक/केएमपी, जो ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करते समय इतना चिंतित या इच्छुक नहीं है, वह, यदि वह अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद चिंतित या इच्छुक हो जाता है, तो उसे अपने चिंता या इच्छा को तुरन्त प्रकट करना होगा जब वह चिंतित या इच्छुक हो या उसके चिंतित या हितबद्ध होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक आयोजित होगी।

Where any Director / KMP, who is not so concerned or interested at the time of entering into such contract or arrangement, he shall, if he becomes concerned or interested after the contract or arrangement is entered into, shall disclose his concern or interest forthwith when he becomes concerned or interested or at the first meeting of the Board held after he becomes so concerned or interested.

- 6.4. एमएसटीसी द्वारा प्रकटीकरण के बिना या निदेशक/केएमपी की भागीदारी के बिना किया गया अनुबंध या व्यवस्था, जो किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित या इच्छुक है, एमएसटीसी के विकल्प पर निरस्तीकरण योग्य होगी।

A contract or arrangement entered into by MSTC without disclosure or with participation by a Director / KMP who is concerned or interested in any way, directly or indirectly, in the contract or arrangement, shall be voidable at the option of MSTC.

- 6.5. एमएसटीसी किसी भी संभावित संबद्ध पक्ष लेन-देन की सूचना काफी पहले प्राप्त करना पसंद करता है, ताकि नोडल अधिकारी को प्रस्तावित लेन-देन और उससे संबंधित अन्य मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसकी समीक्षा करने तथा अनुमोदन के लिए उसे उपयुक्त प्राधिकारी को भेजने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

MSTC strongly prefers to receive such notice of any potential Related Party Transaction well in advance so that the Nodal Officer has adequate time to obtain and review information about the proposed transaction and other matters incidental thereto and to refer it to the appropriate authority for approval.

- 6.6. कोई भी निदेशक/केएमपी जिसे पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान किसी भी समय संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित अपराध का दोषी ठहराया गया हो, उसे निदेशक/केएमपी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

Any Director / KMP who has been convicted of the offence dealing with Related Party Transactions at any time during the last preceding five (5) years shall be disqualified for appointment as Director / KMP, as the case may be.

7. संबंधित पक्ष लेनदेन पर नज़र रखने का मार्ग दर्शक / Road Map to Track Related Party Transactions

- 7.1. भावी /संभावित संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए, विभाग स्तर पर प्रस्ताव/खरीद मांग/अनुबंध चरण में लेनदेन की पहचान करना आवश्यक है। इस प्रकार, सामग्री प्रबंधन द्वारा विक्रेता मास्टर और ग्राहक मास्टर में संशोधन की आवश्यकता है, जहां संबंधित पार्टी पहचानकर्ता (व्यापारिक भागीदार) का एक अनिवार्य क्षेत्र पॉप अप होगा और किसी भी विक्रेता मास्टर / ग्राहक के निर्माण / संशोधन से पहले ऐसे नामित नोडल अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से जारी किया जाएगा। इसी प्रकार, विभागों के सभी वित्त अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संबंधित पक्ष के साथ कोई भी लेन-देन, चाहे वह निष्पक्ष के आधार पर हो या अन्यथा, ऐसे विक्रेता मास्टर/ग्राहक के माध्यम से ठीक से बुक किया जाए, ताकि एसएपी सभी संबंधित पक्ष लेन-देनों को कैप्चर कर सके, ताकि इस नीति के अनुसार समय पर रिपोर्टिंग/लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित स्थानों पर नोडल अधिकारियों के सहयोग से केंद्रीय खातों द्वारा श्रेणीबद्ध रिपोर्ट यानी निष्पक्ष आधार पर/ निष्पक्ष आधार के अलावा अन्य लेन-देन तैयार किया जा सके।

For prospective / potential Related Party Transaction, it is essential to identify the transaction at proposal / Purchase Requisition / contract stage, at the department level. As such, there is a requirement of amendment in the vendor master and customer master by material management where one mandatory field of related party identifier (trading partner) shall pop up and compulsorily be released by such designated Nodal Officer - before creation/amendment of any vendor master customer. Similarly all the finance executives at the departments need to ensure that any transaction with related party whether on arms length's basis or otherwise is booked properly through such vendor master / customer so that SAP can capture all the related party transactions to generate the categorically report i.e. transaction on arm length's basis / other than arm length's basis, by central accounts with the support of the Nodal Officers at the concerned locations for reporting / seeking approval of Audit Committee / Board in time as per this Policy.

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

8. निष्पक्षता के आधार पर लेन-देन का पता लगाना /Ascertainment of Transaction on arm's length basis

- 8.1. प्रस्तावित लेनदेन का मांगकर्ता या आरंभकर्ता, जो आरपीटी के अंतर्गत आता है, संबंधित लेनदेन के बारे में कोई राय बनाने/निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों/सूचनाओं की जांच करेगा कि संबंधित लेनदेन निष्पक्ष आधार पर है। विशेष रूप से, निम्नलिखित में से किसी एक या सभी की जांच की जा सकती है:

The indenter or the initiator of the proposed transaction which is covered under RPT shall examine the documents / information with regard to the transaction before forming an opinion arriving at a conclusion that the concerned transaction is on arm length basis.

In particular, any or all of the following may be examined:

- क. क्या किसी समझौते/समझौता ज्ञापन के अनुसरण में दो संबंधित पक्षों के बीच कथित लेन-देन सरकार के निर्देशों/अनुमोदन के अनुरूप हैं।

Whether the purported transaction between two related parties pursuant to an agreement / memorandum of understanding is in accordance with the directives / approval of the Government.

- ख. क्या लेन-देन की शर्तें व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं।

Whether the terms of the transaction is in the ordinary course of business

- ग. प्रतिफल मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया गया है।

How the consideration price has been arrived.

- घ. क्या यह आंतरिक और बाह्य उद्योग मानकों के साथ तुलनीय है।

Is it comparable with Internal and external industry benchmarks.

- ड. कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज/सूचना जो इस तर्क का समर्थन करती हो कि लेन-देन निष्पक्ष आधार पर किया गया है।

Any other relevant documents / information which supports the contention that the transaction is on arm's length basis.

8.2. संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन पर लागू नियम जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में/ निष्पक्ष आधार पर होते हैं / Rules applying to Transactions with Related parties which are in ordinary course of Business / on arm's length basis

- 8.2.1. एमएसटीसी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में तथा अप्रत्यक्ष आधार पर संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन की रिपोर्ट समय-समय पर लेखापरीक्षा समिति को दी जाएगी।

Transactions with Related parties which are in ordinary course of Business of MSTC and on arm's length basis shall be periodically reported to the Audit Committee.

- 8.2.2. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लेन-देनों का ब्यौरा, जिसे वह एमएसटीसी के सामान्य कारोबार के रूप में और अप्रत्यक्ष आधार पर समझता है, कार्यात्मक विभागीय प्रमुख के ध्यान में लाया जाए और उसके बाद केन्द्रीय लेखा प्रमुख को अधिसूचित किया जाए, जो आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक अधिकारी को नामित करेगा।

The Nodal Officer shall ensure that details of such transactions which he considers to be in ordinary course of Business of MSTC and on arm's length basis are brought to the notice of functional / departmental head and thereafter shall be notified to Head Central Accounts, who shall designate an officer to collate the data.

- 8.2.3. इस प्रकार एकत्रित आंकड़े लेखापरीक्षा समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के लिए कंपनी सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे। एमएसटीसी के सामान्य व्यवसाय के क्रम होने के बावजूद संबंधित पक्षों के साथ किए जा रहे लेन-देन, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण के मानदंडों को पूरा करेंगे। विभाग स्तर पर नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित साक्ष्य और दस्तावेज लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षा समिति को उपलब्ध कराए जाएं, जैसा कि उनके द्वारा अपेक्षित हो, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि लेन-देन एमएसटीसी के सामान्य व्यवसाय क्रम में हैं और निष्पक्ष आधार पर किए गए हैं।

The data so collated shall be submitted to the Company Secretary for placing before the next meeting of the Audit Committee. Transactions being entered into with the related parties even though being in the ordinary course of business of MSTC shall satisfy the criteria of arm's length pricing. It shall be the responsibility of the Nodal Officer at department level etc. to ensure that requisite evidence and documentation are made available to the auditors/ Audit Committee, as may be required by them, to demonstrate that the transactions are in ordinary course of Business of MSTC and have been conducted on arm's length basis.

- 8.2.4. निदेशक मंडल को ऐसे आरपीटी पर ध्यान देना चाहिए। / Board of Directors to take note of such RPTs.

- 8.2.5. यदि ऐसे आरपीटी ऊपर परिभाषित अनुसार "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" हैं, तो समाधान के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी। / Prior approval of shareholders by way of resolution shall be taken if such RPTs are "Material Related Party Transactions" as defined above.

9. संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन / Review and Approval of Related Party Transactions

- 9.1. सभी संबद्ध पक्ष लेन-देन और उसके बाद के भौतिक संशोधनों को प्रबंधन के औचित्य के साथ, पूर्व अनुमोदन/अनुसमर्थन के लिए लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट/संदर्भित किया जाना चाहिए। ऐसे लेनदेन को मंजूरी देने से पहले, लेखापरीक्षा समिति लेनदेन करने में एमएसटीसी और उसके हितधारकों के हित और

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

उसके लाभों पर विचार करेगी। इसके बाद लेखापरीक्षा समिति इस नीति के अनुसार ऐसे लेनदेन को अनुमोदित, अस्वीकृत या संशोधनों के अधीन अनुमोदित कर सकती है और/या अनुमोदन के लिए बोर्ड को सिफारिश कर सकती है।

All Related Party Transactions and subsequent material modifications must be reported referred to the Audit Committee for its prior approval/ratification, accompanied with Management's justification for the same. Before approving such transactions, the Audit Committee will look into the interest of MSTC and its stakeholders in carrying out the transactions and on the benefits of the same. The Audit Committee may, thereupon, approve, reject or approve subject to modifications such transactions, in accordance with this Policy and / or recommend the same to the Board for approval.

बशर्ते कि लेखापरीक्षा समिति के केवल वे सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, संबंधित पक्ष लेनदेन को मंजूरी देंगे।

Provided that only those members of the audit committee, who are independent directors, shall approve related party transactions.

बशर्ते संबंधित पक्ष लेनदेन, जिसमें एमएसटीसी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्ष है, लेकिन एमएसटीसी एक पक्ष नहीं है, के लिए एमएसटीसी की लेखा परीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया हो, सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% से अधिक है।

Provided further that a related party transaction to which the unlisted subsidiary of MSTC is a party but MSTC is not a party, shall require prior approval of the audit committee of MSTC if the value of such transaction whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds 10% of the annual consolidated turnover as per the last audited financial statements of the listed entity.

उपर्युक्त वित्तीय सीमा अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर सूचीबद्धता विनियमों में किए गए किसी संशोधन के अधीन है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त सीमा को ऐसी संशोधित सीमा के संदर्भ में माना जाएगा।

The above financial threshold is subject to any amendment made in the Act or Rules made thereunder and Listing Regulations from time to time, in which case the above threshold shall deem to refer to such amended threshold.

- 9.2. सभी लेन-देन जो या तो निष्पक्ष आधार पर नहीं हैं और/या व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, उन्हें बोर्ड को लेखा-परीक्षा समिति के माध्यम से अनुमोदन/पुष्टि के लिए रिपोर्ट/संदर्भित किया जाना चाहिए, और महत्वपूर्ण

संबंधित पक्ष लेन-देन और उसके बाद महत्वपूर्ण संशोधनों के मामले में, समाधान के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी और इसके साथ प्रबंधन का औचित्य भी होना चाहिए।

All transactions which are either not on arm's length basis and / or not in ordinary course of business must be reported / referred to the Board through Audit Committee for its approval / ratification, and in case Material Related Party Transactions and subsequent material modifications, prior approval of the shareholders of the company by way of resolution shall be required and accompanied with Management's justification for the same.

बशर्ते किसी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन में, जिसमें एमएसटीसी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी पक्षकार है, लेकिन एमएसटीसी पक्षकार नहीं है, समाधान के माध्यम से एमएसटीसी के शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

Provided that a material related party transaction to which the unlisted subsidiary of MSTC is a party but MSTC is not a party, shall require prior approval of the shareholders of MSTC by way of resolution.

- 9.3. लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड को संबंधित संबंधित पक्ष लेन-देन को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि लेन-देन एमएसटीसी और उसके शेयरधारकों के हित में है, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है और न ही निष्पक्ष आधार पर है। संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए एक मैट्रिक्स इस नीति के अनुलग्नक I के रूप में दिया गया है।

The Audit Committee / Board shall ensure that that the transaction is in the interest of MSTC and its shareholders before approving the relevant Related Party Transactions, which are not in ordinary course of business and not on arm's length basis. A matrix for approval of the Related Party Transactions has been given as Annexure I of this Policy.

9.4. **लेखापरीक्षा समिति द्वारा सर्वव्यापी अनुमोदन / Omnibus approval by the Audit Committee**

- 9.4.1. लेखापरीक्षा समिति एमएसटीसी द्वारा प्रस्तावित संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है।

The Audit Committee may grant omnibus approval for Related Party Transactions proposed to be entered into by MSTC subject to the following conditions:

- क) लेखापरीक्षा समिति सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

The Audit Committee shall lay down the criteria for granting the omnibus approval which shall include the following:

(i) कुल मिलाकर लेनदेन का अधिकतम मूल्य, जिसे एक वर्ष में सर्वव्यापी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी जा सकती है।

Maximum value of the transactions, in aggregate, which can be allowed under the omnibus approval route in a year;

(ii) प्रति लेनदेन अधिकतम मूल्य जिसकी अनुमति दी जा सकती है।

The maximum value per transaction which can be allowed;

(iii) व्यापक अनुमोदन प्राप्त करते समय लेखापरीक्षा समिति के समक्ष किए जाने वाले प्रकटीकरण की सीमा और तरीका।

Extent and manner of disclosures to be made to the Audit Committee at the time of seeking omnibus approval;

(iv) लेखापरीक्षा समिति द्वारा उचित समझे जाने वाले अंतरालों पर, प्रत्येक व्यापक अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी द्वारा किए गए संबंधित पक्ष लेन-देन की समीक्षा करना ; और

Review, at such intervals as the Audit Committee may deem fit, Related Party Transactions entered into by the Company pursuant to each of the omnibus approval made; and

(v) ऐसे लेन-देन जो लेखापरीक्षा समिति द्वारा सर्वव्यापी अनुमोदन के अधीन नहीं हो सकते।
Transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the Audit Committee.

ख) लेखापरीक्षा समिति ऐसे सर्वव्यापक अनुमोदन की आवश्यकता के संबंध में स्वयं संतुष्ट होगी तथा यह कि ऐसा अनुमोदन एमएसटीसी के हित में है, तथा सर्वव्यापक अनुमोदन के लिए मानदंड निर्दिष्ट करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगी।

The Audit Committee shall satisfy itself regarding the need for such omnibus approval and that such approval is in the interest of MSTC and shall consider the following factors while specifying the criteria for making omnibus approval:

(i) लेन-देन की पुनरावृत्ति (अतीत में या भविष्य में); तथा
Repetitiveness of the transactions (in past or in future); and

(ii) सर्वव्यापक अनुमोदन की आवश्यकता का औचित्य
Justification for need of omnibus approval

ग) ऐसे सर्वव्यापक अनुमोदन में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा:

Such omnibus approval shall specify:

(i) संबंधित पक्ष का नाम, लेन-देन की प्रकृति, लेन-देन की अवधि, लेन-देन की अधिकतम राशि जो की जा सकती है।

- the name(s) of the related party, nature of transaction, period of transaction, maximum amount of transaction that can be entered into;
- (ii) सांकेतिक आधार मूल्य / वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र, यदि कोई हो; और
- the indicative base price / current contracted price and the formula for variation in the price, if any; and
- (iii) ऐसी अन्य शर्तें जिन्हें लेखापरीक्षा समिति उचित समझे।
- such other conditions as the Audit Committee may deem fit.

9.4.2. बशर्ते जहां संबद्ध पक्ष लेनदेन की आवश्यकता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है और पूर्वोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेनदेन के लिए सर्वव्यापक अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते उनका मूल्य प्रति लेनदेन 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

Provided that where the need for Related Party Transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, Audit Committee may grant omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding Rs. 1 crore per transaction.

9.4.3. लेखापरीक्षा समिति, प्रत्येक प्रदत्त सर्वव्यापक अनुमोदन के अनुसरण में एमएसटीसी द्वारा किए गए आरपीटी के ब्यौरे की कम से कम तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी।

Audit Committee shall review, at least on a quarterly basis, the details of RPTs entered into by MSTC pursuant to each of the omnibus approval given.

9.4.4. कंपनी के उपक्रम को बेचने या निपटाने के संबंध में लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन नहीं किया जाएगा।

Omnibus approval shall not be made for transactions in respect of selling or disposing of the undertaking of the Company.

9.4.5. ऐसे सर्वव्यापक अनुमोदन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध होंगे तथा एक वर्ष की समाप्ति के बाद नए अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

Such omnibus approvals shall be valid for a period not exceeding one year and shall require fresh approval after the expiry of one year.

9.5. सभी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन और उसके बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए समाधान के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

All Material Related Party transactions and subsequent material modifications shall require prior Shareholders approval by way of resolution.

9.6. कोई भी संबंधित पक्ष, संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए शेयरधारक के समक्ष रखे गए प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा, चाहे वह इकाई उस विशेष लेनदेन से संबंधित पक्ष हो या नहीं।

No related party shall vote to approve resolutions put up before shareholder for approval of material related party transaction, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

9.7. समीक्षा हेतु मानक / Standards for review

9.7.1. संबंधित पक्ष के लेनदेन को अनुमोदित करते समय लेखापरीक्षा समिति और अनुमोदित/अनुसमर्थन करते समय बोर्ड, लेनदेन में संबंधित पक्ष के हितों के पूर्ण प्रकटीकरण के पश्चात, इस नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार, निम्नलिखित की समीक्षा और विचार करेगा।

The Audit Committee while approving and the Board while approving /ratifying a Related Party Transaction shall review and consider the following, in accordance with the standards set forth in this Policy after full disclosure of the Related Party's interests in the transaction:

- क) संबंधित पक्ष लेनदेन में संबंधित पक्ष का हित; the Related Party's interest in the Related Party Transaction;
- ख) संबंधित पक्ष लेनदेन में शामिल अनुमानित राशि; the approximate amount involved in the Related Party Transaction;
- ग) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन एमएसटीसी के सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत किया गया था; whether the Related Party Transaction was undertaken in the ordinary course of business of MSTC;
- घ) क्या संबद्ध पक्ष के साथ लेन-देन निष्पक्ष आधार पर प्रस्तावित है या किया गया था। whether the transaction with the Related Party is proposed to be, or was, entered on at arms' length basis;
- ड) संबंधित पक्ष लेनदेन का उद्देश्य, तथा एमएसटीसी को इससे होने वाले संभावित लाभ। the purpose of, and the potential benefits to MSTC from the Related Party Transaction;
- च) क्या एमएसटीसी के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए कोई बाध्यकारी व्यावसायिक कारण हैं और वैकल्पिक लेनदेन की प्रकृति, यदि कोई हो। Whether there are any compelling business reasons for MSTC to enter into the Related Party Transaction and the nature of alternative transactions, if any;
- छ) क्या संबंधित पक्ष लेनदेन में कोई संभावित प्रतिष्ठा जोखिम संबंधी मुद्दे शामिल हैं जो संबंधित पक्ष लेनदेन के परिणामस्वरूप या उसके संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। Whether the Related Party Transaction includes any potential reputational risk issues that may arise as a result of or in connection with the Related Party Transaction;
- ज) क्या संबद्ध पक्ष लेनदेन से अन्यथा स्वतंत्र निदेशक या नामित निदेशक की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। Whether the Related Party Transaction would impair the independence of an otherwise independent Director or nominee Director;

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

झ) क्या एमएसटीसी को संबद्ध पक्ष लेनदेन के बारे में इसके आरंभ होने से पहले सूचित किया गया था और यदि नहीं, तो पूर्व अनुमोदन क्यों नहीं लिया गया और क्या बाद में अनुसमर्थन एमएसटीसी के लिए हानिकारक होगा।

Whether MSTC was notified about the Related Party Transaction before its commencement and if not, why pre-approval was not sought for and whether subsequent ratification would be detrimental to MSTC;

ज) क्या संबंधित पक्ष का लेनदेन, लेनदेन के आकार, संबंधित पक्ष की समग्र वित्तीय स्थिति, लेनदेन में संबंधित पक्ष के हित की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकृति और किसी प्रस्तावित संबंध की चल रही प्रकृति और किसी अन्य कारक को ध्यान में रखते हुए, कानून के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए हितों का अनुचित टकराव प्रस्तुत करेगा, जिसे लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड प्रासंगिक और उचित मानता है;

Whether the Related Party Transaction would present an improper conflict of interest, as per provisions of law, for any director or Key Managerial Personnel, taking into account the size of the transaction, the overall financial position of the Related Party, the direct or indirect nature of the Related Party's interest in the transaction and the ongoing nature of any proposed relationship and any other factors the Audit Committee / the Board deems relevant and appropriate;

ट) अपेक्षित सांविधिक एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण, यदि कोई हो; तथा

required statutory and public disclosure, if any; and

ठ) प्रस्तावित लेनदेन के संदर्भ में संबंधित पक्ष लेनदेन या संबंधित पक्ष के बारे में कोई अन्य जानकारी जो विशेष लेनदेन की परिस्थितियों के मद्देनजर, लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण होगी।

any other information regarding the Related Party Transaction or the Related Party in the context of the proposed transaction that would be material to the Audit Committee / Board / shareholders, as applicable, in light of the circumstances of the particular transaction.

9.7.2. लेखापरीक्षा समिति की बैठक/बोर्ड बैठक का एजेंडा, जिसमें प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है, इसमें निम्नलिखित को दिखाया जाएगा।

The agenda of the Audit Committee meeting / Board meeting at which the resolution is proposed to be considered shall disclose:

क) प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, सामग्री शर्तें और विवरण।

Type, material terms and particulars of the proposed transaction;

ख) संबंधित पक्ष का नाम और एमएसटीसी या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित (वित्तीय या अन्यथा) की प्रकृति भी शामिल है।

Name of the related party and its relationship with MSTC or its subsidiary, including nature of its concern or interest (financial or otherwise)

ग) प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (विशेष अवधि निर्दिष्ट की जाएगी)

Tenure of the proposed transaction (particular tenure shall be specified)

घ) प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य

Value of the proposed transaction.

ड) तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है (और सहायक कंपनी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई ऐसी प्रतिशतता अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाएगी।

The percentage of the listed entity's annual consolidated turnover, for the immediately preceding financial year, that is represented by the value of the proposed transaction (and for a RPT involving a subsidiary, such percentage calculated on the basis of the subsidiary's annual turnover on a standalone basis shall be additionally provided);

च) यदि लेन-देन एमएसटीसी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है।

If the transaction relates to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by MSTC or its subsidiary:

- i) प्रस्तावित एम लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण।
details of the source of funds in connection with the proposed transaction
- ii) जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए लिया जाता है।
where any financial indebtedness is incurred to make or give loans, inter-corporate deposits, advances or investments,
 - ऋणग्रस्तता की प्रकृति; / nature of indebtedness;
 - निधियों की लागत; और / cost of funds; and
 - कार्यकाल; / tenure;
- iii) लागू शर्तें, जिनमें अनुबंध, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल हैं, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; और

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

- applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security; and
- iv) वह उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।
 the purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT
- छ) आरपीटी एमएसटीसी के हित में क्यों है, इसका औचित्य

Justification as to why the RPT is in the interest of MSTC

ज) मूल्यांकन या अन्य बाह्य पार्टी रिपोर्ट की प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया हो।

A copy of the valuation or other external party report, if any such report has been relied upon

झ) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है।

Percentage of the counter-party's annual consolidated turnover that is represented by the value of the proposed RPT on a voluntary basis

ज) मूल्य निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक शर्तों के निर्धारण का तरीका, जो अनुबंध के भाग के रूप में शामिल हैं और अनुबंध के भाग के रूप में नहीं माने जाते हैं।

the manner of determining the pricing and other commercial terms, both included as part of contract and not considered as part of the contract;

ट) क्या अनुबंध से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो उन कारकों का विवरण दें जिन पर विचार नहीं किया गया है तथा उन कारकों पर विचार न करने का औचित्य भी बताएं ; और

whether all factors relevant to the contract have been considered, if not, the details of factors not considered with the rationale for not considering those factors; and

ठ) प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए समिति/बोर्ड के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य जानकारी।

any other information relevant or important for the Committee/Board to take a decision on the proposed transaction.

9.7.3. जहां कोई निदेशक किसी संबद्ध पक्ष के साथ किसी अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखता है, वहां ऐसा निदेशक ऐसे अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित संकल्प के विषय-वस्तु पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित नहीं होगा।

Where any director is interested in any contract or arrangement with a Related Party, such director shall not be present at the meeting during discussions on the subject matter of the resolution relating to such contract or arrangement.

9.7.4. किसी प्रस्तावित आरपीटी के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों को भेजे जाने वाले नोटिस में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अतिरिक्त, स्पष्टीकरणात्मक कथन के भाग के रूप में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

The notice being sent to the shareholders seeking approval for any proposed RPT shall, in addition to the requirements under the Companies Act, 2013, include the following information as a part of the explanatory statement:

क) एमएसटीसी के प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा समिति को दी गई जानकारी का सारांश, जैसा कि ऊपर बिंदु 9.7.4 में निर्दिष्ट है।

A summary of the information provided by the management of MSTC to the audit committee as specified in point 9.7.4 above;

ख) प्रस्तावित लेनदेन एमएसटीसी के हित में क्यों है, इसका औचित्य।

Justification for why the proposed transaction is in the interest of MSTC;

ग) जहां लेनदेन एमएसटीसी या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है, वहां विवरण उपरोक्त बिंदु 9.7.4 (एफ) के तहत निर्दिष्ट किया गया।

Where the transaction relates to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by MSTC or its subsidiary, the details specified under point 9.7.4 (f) above;

घ) एक वक्तव्य कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा जिस मूल्यांकन या अन्य बाह्य रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो, तो उसे शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

A statement that the valuation or other external report, if any, relied upon by the listed entity in relation to the proposed transaction will be made available through the registered email address of the shareholders;

ङ) प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है।

Percentage of the counter-party's annual consolidated turnover that is represented by the value of the proposed RPT, on a voluntary basis;

च) कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है।

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

Any other information that may be relevant.

9.8. संबंधित पक्ष लेन-देन का अनुसमर्थन / Ratification of Related Party Transactions

9.8.1. संबंधित पक्ष के साथ किए गए प्रत्येक अनुबंध या व्यवस्था का उल्लेख शेयरधारकों को भेजी जाने वाली बोर्ड की रिपोर्ट में किया जाएगा, साथ ही ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का औचित्य भी बताया जाएगा।

Every contract or arrangement entered into with a related party shall be referred to in the Board's report to the shareholders along with the justification for entering into such contract or arrangement.

9.8.2. यदि संबद्ध पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड / शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति समय की कमी और अन्य प्रशासनिक असुविधा के कारण संभव नहीं है, तो ऐसे संबद्ध पक्ष लेनदेन को, यदि आवश्यक हो, संबंधित पक्ष लेनदेन में प्रवेश करने के 3 महीने के भीतर बोर्ड / शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।

If prior approval of the Audit Committee / Board / shareholders for entering into a Related Party Transactions is not feasible owing to paucity of time and also other administrative inconvenience, then such Related Party Transactions shall be recommended by the Audit Committee for ratification to the Board/ Shareholders, if required, within 3 months of entering into the Related Party Transaction.

9.8.3. किसी भी मामले में जहां लेखा-परीक्षा समिति/बोर्ड/शेयरधारक किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन को अनुमोदित न करने का निर्णय लेते हैं, जो पूर्व अनुमोदन के बिना शुरू किया गया है, लेखा-परीक्षा समिति या बोर्ड या शेयरधारक, जहां भी उपयुक्त हो, अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकते हैं, जिसमें लेनदेन को तत्काल बंद करना, या अनुमोदन के लिए इसे स्वीकार्य बनाने के लिए लेनदेन में संशोधन करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यदि अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक के संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक एमएसटीसी को उसके द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

In any case where either the Audit Committee / Board / Shareholders determines not to ratify a Related Party Transaction that has been commenced without prior approval, the Audit Committee or Board or shareholders, as appropriate, may direct additional actions including, but not limited to, immediate discontinuation of the transactions, or modification of the transaction to make it acceptable for ratification. If the contract or arrangement is with a Related Party to any director, or is authorised by any other director, the directors concerned shall indemnify MSTC against any loss incurred by it.

9.8.4. यदि लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड के किसी सदस्य, जैसा भी मामला हो, का किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन में संभावित हित हो, तो ऐसा सदस्य ऐसे अनुबंध या व्यवस्था से संबंधित संकल्प के विषय-वस्तु पर चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा।

In the event any member of the Audit Committee or the Board, as the case may be, has potential interest in any Related Party Transaction, such member will not remain present at the meeting during discussions on the subject matter of the resolution relating to such contract or arrangement.

9.9. संबंधित पक्ष लेन-देन पहले अस्वीकृत हुए / Related Party Transactions not previously approved

9.9.1. यदि कंपनी को किसी संबंधित पक्ष के साथ संबंधित पक्ष लेन-देन के बारे में पता चलता है, जिसे इसके समापन से पहले इस नीति के तहत अनुमोदित नहीं किया गया है, तो मामले की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी, तथा संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुसमर्थन, संशोधन या समाप्ति सहित कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी। लेखापरीक्षा समिति इस नीति के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति को ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच करेगी, और उचित समझे जाने पर कोई कारबाई करेगी।

In the event the Company becomes aware of a Related Party Transaction with a Related Party that has not been approved under this Policy prior to its consummation, the matter shall be reviewed by the Audit Committee. The Audit Committee shall consider all of the relevant facts and circumstances regarding the Related Party Transaction, and shall evaluate all options available to the Company, including ratification, revision or termination of the Related Party Transaction. The Audit Committee shall also examine the facts and circumstances pertaining to the failure of reporting such Related Party Transaction to the Audit Committee under this Policy, and shall take any such action it deems appropriate.

9.9.2. जहां एमएसटीसी के किसी निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा किसी संबंधित पक्ष के साथ लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड की सहमति प्राप्त किए बिना या जहां आवश्यक हो, आम बैठक में प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई अनुबंध या व्यवस्था की जाती है और यदि बोर्ड द्वारा या, जैसा भी मामला हो, लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड/शेरधारकों द्वारा उस तारीख से तीन महीने के भीतर एक बैठक में इसकी पुष्टि नहीं की जाती है, जिस दिन ऐसा अनुबंध या व्यवस्था की गई थी, तो ऐसा अनुबंध या व्यवस्था बोर्ड के विकल्प पर रद्द करने योग्य होगी और यदि अनुबंध या व्यवस्था किसी निदेशक के संबंधित पक्ष के साथ है, या किसी अन्य निदेशक द्वारा अधिकृत है, तो संबंधित निदेशक एमएसटीसी को उसके द्वारा उठाए गए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेंगे।

Where any contract or arrangement is entered into by a director or any other employee of MSTC with a related party, without obtaining the consent of the Audit

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

Committee / Board or approval by a resolution in the general meeting, where required and if it is not ratified by the Board or, as the case may be, by the Audit Committee / Board / Shareholders at a meeting within three months from the date on which such contract or arrangement was entered into, such contract or arrangement shall be voidable at the option of the Board and if the contract or arrangement is with a related party to any director, or is authorized by any other director, the directors concerned shall indemnify MSTC against any loss incurred by it.

- 9.9.3. किसी भी मामले में, जहां लेखापरीक्षा समिति किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन की पुष्टि न करने का निर्णय लेती है, जो बिना अनुमोदन के शुरू हो गया है, लेखापरीक्षा समिति, जहां उपयुक्त हो, अतिरिक्त कार्रवाई का निर्देश दे सकती है, जिसमें लेनदेन को तत्काल बंद करना या रद्द करना शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। किसी संबद्ध पक्ष लेनदेन की समीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति को इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता को संशोधित करने या माफ करने का अधिकार है।

In any case, where the Audit Committee determines not to ratify a Related Party Transaction that has commenced without approval, the Audit Committee, as appropriate, may direct additional actions including, but not limited to, immediate discontinuation or rescission of the transaction. In connection with any review of a Related Party Transaction, the Audit Committee has authority to modify or waive any procedural requirements of this Policy.

- 9.9.4. एमएसटीसी ऐसे निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, जिसने इस नीति के उल्लंघन में ऐसा अनुबंध या व्यवस्था की है, ताकि ऐसे अनुबंध या व्यवस्था के परिणामस्वरूप उसे हुई हानि की वसूली की जा सके और वह ऐसी कोई भी कार्रवाई करेगा, जो वह उचित समझे।

MSTC may proceed against a director or any other employee who had entered into such contract or arrangement in contravention of this Policy for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement and shall take any such action, it deems appropriate.

9.10. संशोधन / Amendment

- 9.10.1. यह नीति कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 और सूचीबद्धता विनियमों सहित अधिनियम के अनुसार संशोधित होगी। इस नीति और लागू कानून के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, लागू कानून ही मान्य होगा। बोर्ड या बोर्ड द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षा समिति, प्रत्येक तीन (3) वर्ष में एक बार इस नीति की समीक्षा करेगी और तदनुसार इसे अद्यतन करेगी। इस नीति में कोई भी संशोधन लिखित रूप में होगा।

This Policy shall stand amended in terms of the Act including the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014, and Listing Regulations. In the event of any conflict between this Policy and the applicable law, the applicable law shall prevail. The Board or the Audit Committee, as authorised by the Board, will

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

review this Policy once every three (3) years and update accordingly. Any amendment to this Policy will be in writing.

9.11. छूट / Exemptions

सामान्य / General

9.11.1. लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के अधीन, किसी भी अनुबंध या व्यवस्था के मामले में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

Subject to approval of the Audit Committee, approval of the Board is not required in case of any contract or arrangement

- (i) अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में, और / in the ordinary course of its business, and
- (ii) निष्पक्ष मूल्य आधार पर एमएसटीसी और / at arms' length price basis between MSTC and
- क) कोई अन्य फर्म जिसमें निदेशक या केएमपी या उनके रिश्तेदार साझेदार हों। / any other firm in which Director or KMP or their Relatives are partner.
- ख) किसी निगमित निकाय/व्यक्ति से व्यावसायिक क्षमता में प्राप्त की गई सेवा। / service availed in a professional capacity from body corporate/person.
- ग) किसी निजी या सार्वजनिक कंपनी के साथ अनुबंध जिसमें निदेशक या केएमपी का रिश्तेदार निदेशक/सदस्य हो। / Contract with a private or public company in which relative of a Director or KMP is a director/member.

विशिष्ट / Specific

9.11.2. संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन-देन को निष्पक्षता के आधार पर लेन-देन माना जाएगा, बशर्ते

The following transactions with the related parties shall be treated as transaction on arm length's basis provided

- (i) कंपनी के तैयार उत्पाद/सेवाओं/ स्क्रैप बिक्री सहित अन्य की बिक्री की दरें या शुल्क प्रतिस्पर्धी बोलियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। /सरकार द्वारा तय किए जाते हैं।
'Sale of company's finished product/services/ others including scrap sale at rates or charges involved are determined by competitive bids / fixed by Govt.
- (ii) जहां उत्पाद की खरीद / सेवाओं का लाभ उठाने की दरें या शुल्क प्रतिस्पर्धी बोलियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
Where purchase of product / availing of services at rates or charges are determined by competitive bids.
- (iii) बाजार दर / नगर निगम / स्थानीय निकाय बोर्ड की मानक दर या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पट्टा किराया रसीद / भुगतान।

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

Lease rent receipt / payment at market rate / municipal / local body board standard rate or fixed by any other Government authority.

9.11.3. समय-समय पर संशोधित अधिनियम और सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई छूट।

Exemptions provided under the provisions of Act and Listing Regulations as amended from time to time.

10. रजिस्टर और प्रकटीकरण / Registers & Disclosures

10.1. कंपनी का कंपनी सचिव ("कंपनी सचिव") अधिनियम में निर्धारित अनुसार भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें उन सभी अनुबंधों या व्यवस्थाओं का ब्यौरा दिया जाएगा जिन पर यह नीति लागू होती है।

The company secretary of the Company (the "Company Secretary") shall maintain a register, either physically or electronically, as prescribed in the Act, giving details of all contracts or arrangements to which this Policy applies.

10.2. प्रत्येक निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को, अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या अन्य कम्पनियों में अपने पद से त्यागपत्र देने के बाद, जैसा भी मामला हो, एमएसटीसी को अन्य एसोसिएशनों में अपने हित या चिंता से संबंधित विवरण दिखाना होगा, जिन्हें बनाए गए रजिस्टर में शामिल किया जाना आवश्यक है।

Every director or key managerial personnel shall, within a period of thirty days of his appointment, or relinquishment of his office in other companies, as the case may be, disclose to MSTC the particulars relating to his/her concern or interest in the other associations which are required to be included in the register maintained.

10.3. कंपनी सचिव एमएसटीसी के सदस्य को उसके अनुरोध पर, प्रासंगिक नियमों के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर, अनुरोध किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर ऐसे रजिस्टर से उद्धरण उपलब्ध कराएगा।

The Company Secretary shall provide extracts from such register to a member of MSTC on his request, within seven days from the date on which such request is made upon the payment of such fee as may be specified in accordance with the relevant rules.

10.4. इस धारा के अंतर्गत रखा जाने वाला रजिस्टर एमएसटीसी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक के प्रारंभ में प्रस्तुत किया। जाएगा तथा बैठक के जारी रहने के दौरान बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खुला और सुलभ रहेगा।

The register to be kept under this section shall also be produced at the commencement of every annual general meeting of MSTC and shall remain open

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

and accessible during the continuance of the meeting to any person having the right to attend the meeting.

11. संबंधित पक्ष के साथ कारोबार के सामान्य क्रम और लेनदेन के मूल्य निर्धारण के लिए आवश्यक अभिलेख/सहायक दस्तावेज़।

Records / Supporting documents required for establishing the ordinary course of business and arm's length pricing of a transaction with a Related Party

11.1 सामग्री, माल आदि की खरीद/बिक्री / Purchase / sale of material, goods etc.

(i) समझौतों / क्रय आदेश / आदान-प्रदान किए गए पत्राचार / विनिमय पत्र / बिल / चालान आदि की प्रतिलिपि।

Copy of agreements / purchase orders / correspondence exchanged /letters of exchange / bills / invoices etc.

(ii) विक्रेता से असंबंधित पक्षों के साथ समान तिथि या निकटवर्ती तिथि पर समान लेनदेन के चालान/बिल।

Invoices / bills of similar transactions on same date or nearby date with unrelated parties from the seller.

(iii) असंबद्ध सेवा प्रदाता से कोटेशन / Quotation from unrelated service provider.

11.2 संपत्ति की खरीद/बिक्री / Purchase / sale of property

i) उचित बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करना।

Valuation reports from independent valuers to ascertain Fair Market Value.

ii) स्वतंत्र संपत्ति डीलरों/ब्रोकर से कोटेशन

Quotations from independent property dealers /brokers.

iii) विक्रय समझौते की ड्राफ्ट प्रति / प्रस्तावित विक्रय विलेख का ड्राफ्ट।

Draft copy of agreement to sell / Draft of proposed sale deed.

(iii) ऐसे लेनदेन की संक्षिप्त शर्तें एवं नियम तथा औचित्य।

Brief terms and conditions and justification of such transaction.

11.3 सेवाएँ प्राप्त करना / प्रदान करना / Availing / Rendering Services

(i) समझौते / समझौता ज्ञापन / पत्राचार आदि की प्रतिलिपि।

Copy of agreement / memorandum of understanding / correspondence etc.

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

(ii) लेन-देन को प्रमाणित करने वाले सहायक दस्तावेज।

Supporting documents justifying the transaction on arm's length basis.

11.4 दिए गए या लिए गए ऋण/अग्रिम / Loans / Advances given or Taken

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों की धारा 185, 186 और अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन।

Compliance of Section 185, 186 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder.

(ii) समझौते / Agreements

(iii) सांविधिक अनुमोदन जहां भी आवश्यक हो, / Statutory approvals wherever required.

(iv) ऋण/अग्रिम की अवधि के लिए निकटतम प्रचलित जी-एसईसी दर के मध्येनजर ब्याज दर और उसका औचित्य (जहां भी लागू हो)।

Rate of interest and justification for the same in view of nearest prevailing G-SEC rate for the term of the loans / advances (wherever applicable).

11.5 गारंटी / प्रतिभूतियां / Guarantee /Securities

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों की धारा 185, 186 और अन्य लागू प्रावधानों का अनुपालन।

Compliance of Section 185, 186 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder.

(ii) समझौते / Agreements.

(iii) अन्य दस्तावेज भी जो इसे प्रमाणित करें। / Other documents justifying the same.

11.6 शेयर/डिबेंचर/प्रतिभूतियों की सदस्यता / Subscription to shares / debentures/securities

(i) मूल्यांकन रिपोर्ट या दस्तावेज जो यह प्रमाणित करते हों कि अंशदान उस दर पर किया गया है/प्राप्त किया गया है जिस दर पर असंबंधित पक्ष को निवेश किया गया है/किया जाएगा।

Valuation report or documents justifying that subscription is done /received at a rate on which placement has been made / shall be made to an un-related party.

11.7 किराया समझौता / Rent Agreement

(i) मसौदा समझौते की प्रति / Copy of draft agreement.

(ii) जिस क्षेत्र में संपत्ति स्थित है या उसके निकटवर्ती क्षेत्र के संपत्ति डीलर/सलाहकार से कोटेशन।

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

Quotation from a property dealer / advisor in the area in which the property is located or a nearby area.

(iii) यदि कोटेशन मूल्य मौजूदा मूल्य से काफी कम/अधिक है, तो दूसरा कोटेशन मांगा जाएगा।

If quoted prices are substantially lower / higher than existing, to seek second quotation.

11.8 अन्य लेनदेन / Other transactions

(i) निष्पक्षता के आधार पर सामान्य व्यवसायिक क्रम में प्रचलित बाजार दर पर लेन-देन के उचित औचित्य के साथ समझौते या अन्य सहायक दस्तावेज।

Agreements or other supporting documents along with proper justification of the transaction being on arm's length basis in the ordinary course of business at a prevailing market rate.

12. प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग / Disclosures and Reporting

12.1 तिमाही के दौरान संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की बैठक में प्रकट किया जाएगा। लेखापरीक्षा समिति, कम से कम तिमाही आधार पर, कंपनी द्वारा दिए गए प्रत्येक सर्वव्यापी अनुमोदन (यदि कोई हो) के अनुसार किए गए संबंधित पक्ष लेन-देन के विवरण की समीक्षा करेगी।

Details of the Related Party Transactions during the quarter shall be disclosed in the Audit Committee and Board meeting. The Audit Committee shall review, at least on a quarterly basis, the details of Related Party Transactions entered into by the Company pursuant to each of the omnibus approval given, if any.

12.2 संबंधित पक्षों के साथ सभी महत्वपूर्ण लेन-देन का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ तिमाही आधार पर प्रकट किया जाना है।

Details of all material transactions with related parties are to be disclosed quarterly along with the compliance report on corporate governance.

12.3 एमएसटीसी शेयरधारकों को बोर्ड रिपोर्ट में संबंधित पक्ष के साथ किए गए अनुबंध या व्यवस्था को दिखाएगा, साथ ही ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का औचित्य भी बताएगा।

MSTC shall disclose the contract or arrangements entered into with the Related Party in the Board report to the shareholders along with the justification for entering into such contract or arrangement.

12.4 एमएसटीसी अपने छमाही के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह (15) दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में संबंधित पार्टी लेनदेन को प्रस्तुत करेगा और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

MSTC shall submit within fifteen (15) days from the date of publication of its standalone and consolidated financial results for the half year to the stock exchanges, disclosures of related party transactions in the format as specified by SEBI from time to time, and publish the same on its website:

बशर्ते सूचीबद्ध इकाई 1 अप्रैल, 2023 से अपने एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख को हर छह महीने में ऐसे खुलासे करेगी।

Provided that the listed entity shall make such disclosures every six months on the date of publication of its standalone and consolidated financial results with effect from April 1, 2023.

12.5 एमएसटीसी संबंधित पक्ष लेनदेन से संबंधित इस नीति को अपनी वेबसाइट और वार्षिक रिपोर्ट में भी दिखाएगा।

MSTC shall disclose this Policy relating to Related Party Transactions on its website and also in the Annual Report.

12.6 इस नीति कंपनी के सभी प्रचालन कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को जानकारी देगी।

This Policy shall be communicated to all operational employees and other concerned persons of the Company.

यह नीति निदेशक मंडल द्वारा **25 मई, 2022** को आयोजित अपनी बैठक में संशोधित की गई है और यह ऐसे अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।

This Policy is amended by the Board of Directors in their meeting held **on 25th May, 2022** and will be effective from the date of such approval.

अनुलग्नक / Annexure 1

अनुमोदन प्रक्रिया / Approval process

संबंधित पक्ष लेनदेन के अनुमोदन के लिए मैट्रिक्स

Matrix for approval of Related Party Transactions

लेन-देन की प्रकृति / Nature of Transaction	लेखापरीक्षा समिति की स्वीकृति / Audit Committee		निदेशक मंडल की स्वीकृति / Board of Directors Approval		शेयरधारकों की स्वीकृति / Shareholders' Approval	
	कंपनी अधिनियम, 2013 / Companies Act, 2013	सूचीबद्धता विनियमन / Listing Regulation	कंपनी अधिनियम, 2013 / Companies Act, 2013	सूचीबद्धता विनियमन / Listing Regulation	कंपनी अधिनियम, 2013 / Companies Act, 2013	सूचीबद्धता विनियमन / Listing Regulation
व्यवसाय का सामान्य क्रम और निष्पक्षता / Ordinary course of business and at arm's length	हाँ / Yes	पूर्व अनुमोदन / Prior Approval	पूर्व अनुमोदन / Prior Approval	-	छूट / Exempted	हाँ, यदि सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन / Yes, if material related party transaction
सामान्य व्यावसायिक क्रम में और/या निष्पक्षता पर नहीं / Not in ordinary course of business and / or at arm's length	पूर्व अनुमोदन / Prior Approval	पूर्व अनुमोदन / Prior approval	पूर्व अनुमोदन, बोर्ड तीन महीने के भीतर लेनदेन की पुष्टि कर सकता है। / Prior Approval. Board may ratify the transactions within three months.	-	यदि संबंधित पक्ष के लेन-देन महत्वपूर्ण हों तो पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। / Prior Approval if material related party transactions.	हाँ, यदि सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन / Yes, if material related party transaction

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

					अनुमोदन कर सकते हैं। / However, Shareholders may ratify within three months.	
संबंधित पक्ष लेनदेन जिसमें एमएसटीसी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी पार्टी है, लेकिन एमएसटीसी पार्टी नहीं है। / Related party transaction to which the unlisted subsidiary of MSTC is a party but MSTC is not a party.	–	पूर्व अनुमोदन, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन का मूल्य (व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेनदेन के साथ मिलाकर) वार्षिक समेकित कारोबार* के 10% से अधिक है। / Prior Approval, if value of transaction (individually or taken together with previous transaction) during a FY exceeds 10% of annual	–	–	–	हां, यदि सामग्री संबंधित पार्टी लेनदेन / Yes, if material related party transaction

अस्वीकरण: अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

Disclaimer: In case of difference between English and Hindi version, the English version will stand valid.

		consolidated turnover*.				
--	--	-------------------------	--	--	--	--

* उपरोक्त वित्तीय सीमा अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर सूचीबद्धता विनियमों में किए गए संशोधन के अधीन है।

*The above financial threshold is subject to any amendment made in the Act or Rules made thereunder and Listing Regulations from time to time.